पटना उच्च न्यायालय

लेटर्स पेटेंट अपील सं.- 2143/2016

सिविल रिट संख्या- 7093/2014

===

शशि भूषण सिंह, उम्र लगभग 70 वर्ष, पिता- स्वर्गीय नारायण प्रसाद, निवासी- प्रोफेसर कॉलोनी, धनेश्वर घाट, बिहारशरीफ, थाना- बिहारशरीफ, जिला नालंदा

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. सचिव, पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. इंजीनियर-इन-चीफ, पथ निर्माण विभाग, विश्वशरैया भवन, बेली रोड, पटना।
3. अवर सचिव, पथ निर्माण विभाग, विश्वशरैया भवन, बेली रोड, पटना।
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी), बिहार, पटना, बीरचंद पटेल पथ, पुलिस थाना, कोतवाली, जिला पटना।
5.

.... उत्तरदातागण

===

- लंबित विभागीय/न्यायिक कार्यवाही के कारण उपदान राशि का भुगतान न करने के मुद्दे तक सीमित अपील-इस मुद्दे पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बरकरार रखा गया निर्णय-निपटाया गया-विभागीय/न्यायिक कार्यवाही का सामना करने वाले अपराधी को 90 प्रतिशत से कम की सीमा तक उपदान का भुगतान करने की अनुमति है।
- अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी याचिकाकर्ता उसके लिए स्वीकार्य उपदान के 90 प्रतिशत का हकदार होगा। – राज्य ने पूर्ण पीठ के फैसले के अनुरूप अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को 90 प्रतिशत उपदान के भुगतान के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया और यह अभ्यास इस फैसले की प्रति प्राप्त करने/पेश करने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है-उपरोक्त संशोधनों/निर्देशों के साथ अपील की अनुमति है। (रिलायंस ने बनाया इस परः- अरविंद कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 2018 (3) पी. एल. जे. आर. 933)

पटना उच्च न्यायालय

लेटर्स पेटेंट अपील सं.- 2143/2016

सिविल रिट संख्या- 7093/2014

==

शशि भूषण सिंह, उम्र लगभग 70 वर्ष, पिता- स्वर्गीय नारायण प्रसाद, निवासी- प्रोफेसर कॉलोनी, धनेश्वर घाट, बिहारशरीफ, थाना- बिहारशरीफ, जिला नालंदा

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. सचिव, पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. इंजीनियर-इन-चीफ, पथ निर्माण विभाग, विश्वशरैया भवन, बेली रोड, पटना।
3. अवर सचिव, पथ निर्माण विभाग, विश्वशरैया भवन, बेली रोड, पटना।
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी), बिहार, पटना, बीरचंद पटेल पथ, पुलिस थाना, कोतवाली, जिला पटना।
5.

.... उत्तरदातागण

==

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री रूपक कुमार, अधिवक्ता।
उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री राज बल्लभ प्रसाद यादव, ए. ए. जी.-11
बिहार के लिए	:	श्री सत्येंद्र कुमार झा, अधिवक्ता।

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री ज्योति सरन

और

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमति नीलू अग्रवाल

मौखिक निर्णय

(प्रतिःमाननीय न्यायमूर्ति श्री ज्योति शरण)

तारीखः25-09-2018

यह अंतर-न्यायालय अपील 2014 के सी.डब्लू.जे.सी संख्या 7093 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है, जिसकी

सुनवाई 2014 के सी.डब्लू.जे.सी संख्या 5380 के अनुरूप की गई थी और जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2016 के पटना उच्च न्यायालय एल.पी.ए संख्या 2143 को स्वीकृत करने की अनुमति देते हुए यह आदेश पारित किया था कि दोनों याचिकाकर्ताओं के ग्रेच्यूटी और 90 प्रतिशत पेंशन को रोके रखने को बरकरार रखा है।

श्री रूपक कुमार अपीलार्थी रिट याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि उत्तरदाताओं ने अपने स्वयं के परिपत्र की सराहना में पेंशन का 90 प्रतिशत जारी कर दिया है, लेकिन ग्रेच्युटी के साथ-साथ छुट्टी नकदीकरण को पूरी तरह से रोक दिया गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के बाद भी उत्तरदाताओं ने छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए कदम नहीं उठाए हैं, जिसके लिए अपीलार्थी रिट याचिकाकर्ता ने अवमानना आवेदन को प्राथमिकता दी है। वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश तक ही सीमित है जहाँ तक कि यह ग्रेच्युटी को पूरी तरह से रोकने को बरकरार रखती है।

विद्वान वकील ने **अरबिंद कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 2018 (3) पी. एल. जे. आर. 933** के मामले में दिए गए इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख किया है। न्यायिक या विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उपदान की स्वीकार्यता के संबंध में और जब इस अपील की सुनवाई **अरबिंद कुमार सिंह** (उपरोक्त) द्वारा दायर अपील के अनुरूप की गई थी, तो दोनों खंड पीठों के बीच मतभेद को देखते हुए एक विशेष पीठ का गठन किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 02.05.2018 पर पारित निर्णय और आदेश द्वारा पूर्ण पीठ ने 2016 के न्यायिक/विभागीय कार्रवाई का सामना करने वाले दोषी के दावे को बरकरार रखा है। उनके परिपत्र पर निर्भर करते हुए, जो न्यायिक/विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान 90 प्रतिशत पेंशन की अनुमति देता है, पेंशन के संबंध में राज्य द्वारा अनुमत समान तर्ज पर 90 प्रतिशत उपदान की राशि के लिए कार्यवाही करना। उन्होंने आगे बताया कि इतने लंबे समय बीतने के बावजूद, न तो याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही पूरी हुई है और न ही न्यायिक कार्यवाही किसी निष्कर्ष पर पहुंची

है। इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पहले से ही उसे दी गई छुट्टी नकदीकरण पर राहत और स्वयं विभाग द्वारा दी गई 90 प्रतिशत पेंशन के अलावा कम से कम 90 प्रतिशत उपदान का हकदार है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि भले ही पूर्ण पीठ ने छुट्टी भुनाने को रोकने के राज्य के अधिकार को बरकरार रखा है, लेकिन छुट्टी भुनाने के भुगतान के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई ऐसी राहत के लिए राज्य द्वारा किसी भी चुनौती के अभाव में, वे उस निर्णय से बाध्य हैं जो एक अंतिमता प्राप्त कर चुका है।

श्री आर. बी. पी. यादव, ए. ए. जी. 11, राज्य की ओर से यह प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होते हैं कि मामले का निपटारा **अरबिंद कुमार सिं**ह (उपरोक्त) के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा तय की गई कानूनी स्थिति के आलोक में किया जा सकता है।

हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और हमने अभिलेखों का अध्ययन किया है।

वर्तमान अपील लंबित विभागीय/न्यायिक कार्यवाही के कारण अपीलार्थी-याचिकाकर्ता को उपदान राशि का भुगतान न करने के मुद्दे तक सीमित है, जिसे प्रत्यर्थियों के निर्णय को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बरकरार रखा गया है। जहाँ तक 90 प्रतिशत पेंशन के भुगतान का संबंध है, विद्वान वकील श्री रूपक कुमार स्वीकार करते हैं कि इसका भुगतान विभाग द्वारा किया जा रहा है और जहाँ तक छुट्टी नकदीकरण का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि निर्देश पहले से ही विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में मौजूद है जिसके खिलाफ अपील नहीं की गई है।

इस प्रकार हम इस अपील में उठाई गई शिकायत यानी उपदान राशि का भुगतान न करने तक अपने विचार को सीमित रखेंगे और चूंकि इस मुद्दे पर कानून का निपटारा पूर्ण पीठ के फैसले के पैराग्राफ 25 में किया गया है, जिसके तहत विभागीय/न्यायिक कार्यवाही का सामना करने वाले अपराधी को उपदान का भुगतान

करने की अनुमति दी जाती है, इसलिए हमारा मानना है कि अपीलकर्ता याचिकाकर्ता उसे स्वीकार्य उपदान के 90 प्रतिशत का हकदार होगा।

तदनुसार, हम राज्य को पूर्ण पीठ के फैसले के अनुरूप अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को 90 प्रतिशत उपदान के भुगतान के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हैं और यह प्रक्रिया निर्णय की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

संशोधनों/निर्देशों के साथ अपील की अनुमति है ऊपर।

(ज्योति शरण, न्यायमूर्ति)

(नीलू अग्रवाल, न्यायमूर्ति)

बिभाश/रणवीर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।